

दिनांक 24.07.2020 को आमंत्रित सिलिका सैंड खदान की निविदा के संबंध में किये गए पृच्छाओं के स्पष्टीकरण के संबंध में **Corrigendum-1**

निगम के अधिकृत ई-मेल आईडी पर कतिपय पृच्छाये प्राप्त हुई है। इन पृच्छाओं का स्पष्टीकरण उनके समक्ष दर्शित है:-

स.क्र.	पृच्छा	पृच्छाओं का स्पष्टीकरण
1	निविदा में 03 वर्ष में प्रत्येक वर्ष का माइनिंग टर्न ओवर 06 करोड़ रुपये सलाना रखा गया है जबकि सिलिका सैंड की पुरानी निविदा दिनांक 13.03.2020 में इस तरह की शर्त नहीं थी।	निगम द्वारा निविदा प्रपत्र (RFP) की शर्त क्रमांक 7.1.3 में निम्नानुसार प्रावधान है- "Bidder should have minimum turnover of Rs. 6.00 (Six) Crores in any of the last three years i.e. 2016-17, 2017-18 or 2018-19." स्पष्ट है कि निगम द्वारा 03 वर्ष में प्रत्येक वर्ष माइनिंग टर्न ओवर 06 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होने की शर्त नहीं रखी गई है बल्कि विगत 03 वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में से किसी भी एक वर्ष में 06 करोड़ रुपये का न्यूनतम टर्न ओवर होने की शर्त रखी गई है। पूर्व में निगम द्वारा दिनांक 13.03.2020 को जारी उक्त निविदा में भी समान शर्त रखी गई थी।
2	As per clause-9 of the document, we would like to seek your clarification on following issue:- In Clause 9.13 (Evaluation of Price Proposal) and in Note mentioned on page 33 of the Tender Document and Clause-10 (Terms of payment) SRSA disclose, inter alia, as under: - Agency is required to pay to MPSMC annually, a minimum amount equal to multiplication of MAET and a factor of sum of Premium, Royalty and all applicable taxes. - The amount of Monthly Advance Payment shall be equal to MMET multiply by a factor of applicable Premium plus Royalty, DMF, NMET, RRDT, forest fee, GST and other applicable taxes, levies, cess, fees etc. As per above terms, whether Agency shall be liable to pay Premium with Royalty and all other taxes for the MAET/MMET quantity- OR-the Premium for the MAET/MMET quantity and Royalty and all other taxes for actual lifted/sold quantity during the month/year. Rational is the second option, hence kindly clarify on the above issue.	यदि चयनित निविदाकार सिलिका सैंड की निर्धारित मिनिमम वार्षिक मात्रा (एक लाख टन) या इससे अधिक मात्रा (समस्त वैधानिक अनुमतियों के अंतर्गत) उठाता है तो चयनित ठेकेदार द्वारा प्रीमियम, रायल्टी एवं अन्य समस्त लागू फीस, टैक्स इत्यादि देय होंगे। किन्तु, यदि वह न्यूनतम निर्धारित वार्षिक ठेका मात्रा से कम मात्रा उठाता है तब वास्तविक उठाई गई मात्रा पर प्रीमियम, रायल्टी एवं अन्य समस्त लागू फीस, टैक्स इत्यादि देय होंगे किन्तु नहीं उठाई गई मात्रा हेतु प्रीमियम तथा GST देय होगा।
3	निविदा प्रपत्र के पृ.क्र. 33 FORMAT-G में निम्नानुसार नोट अंकित है:- Premium shall be subject to adjustment with change in royalty rates of "Flagstone".	इसे निम्नानुसार पढ़ा जावे:- Premium shall be subject to adjustment with change in royalty rates of "Silica Sand".

5007
20/7/20